ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 345-348
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

दिव्यांग महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार के विभिन्न आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 जेनुल आबिदीन
एम0 कॉम0 एम0 एड0, पी0–एच0डी0– शिक्षाशास्त्र, मुरादाबाद (उ0प्र0), भारत

दिव्यांगता एक सार्वभौमिक मानवीय दशा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिव्यांगता को तीन पहलुओं क्षति, अक्षमता तथा बाधा के आधार पर परिभाषित किया है, जिसमें क्षति से तात्पर्य मानसिक अथवा शारीरिक संरचना में विकृति के कारण कार्य में असामान्यता तथा अक्षमता से तात्पर्य किसी क्षति के परिणाम स्वरूप उस अंग का सामान्य मानव क्षमता के अनुसार कार्य न कर पाना एवं बाधा से तात्पर्य उस स्थिति से है जब व्यक्ति किसी क्षति अथवा अक्षमता के कारण अपने जीवन में समाज एवं संस्कृति के अनुरूप भूमिका निर्वाह करने में असुविधा का अनुभव करता है। अतः समाज में दिव्यांगता को जैविक/चिकित्सकीय विसंगति के साथ–साथ सामाजिक विसंगति के रूप में भी देखा जाता है। इतिहास पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि दिव्यांगों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण उदासीन अथवा नकारात्मक रहा है। क्योंकि भेदभावपूर्ण सामाजिक अभिवृत्तियों तथा उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के कारण दिव्यांगों को सदैव ही अशक्त, शक्तिहीन तथा सामाजिक रूप से विरक्त माना जाता रहा है।

उनमें भी दिव्यांग महिलाओं की दशा और भी दयनीय रही है। क्योंकि उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभावों और उपेक्षित व्यवहारों का सामना किया है। दिव्यांग महिलाओं ने पारिवारिक जीवन से लेकर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की देखभाल आदि सभी पहलुओं पर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया है। हालाँकि, नए अधिकार सम्बन्धी दृष्टिकोण तथा पिछले कुछ वर्षों में प्रस्तावित की गयी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों ने दिव्यांग महिलाओं को उनकी स्थिति के बारे में अधिक जागरूक बनाने का प्रयास किया है। दिव्यांग महिलाओं से संबंधित कुछ शोध कार्यों तथा उनके अपने जीवनानुभवों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण हमारे ज्ञान और समझ को समृद्धि मिली है। इन सभी सकारात्मक कार्यों से यह विश्वास जगा है कि स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा तथा जमीनी स्तर पर ठोस उपाय किए जा सकेंगे, क्योंकि अपेक्षाकृत आज भी दिव्यांग महिलाओं की शिक्षा एवं रोजगार की स्थिति संतोषजनक नहीं है। जनगणना 2011 का अवलोकन करने पर दिव्यांग जनों की साक्षरता एवं रोजगार की स्थिति का पता लगाया जा सकता है जो निम्नवत है :

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगों की साक्षरता एवं रोजगार की स्थिति

दिव्यांग व्यक्ति	कुल	शैक्षिक स्थिति		रोजगार की स्थिति	
		शिक्षित	अशिक्षित	कार्यरत	गैर कार्यरत
महिला	11826401	5270000	6556401	2699748	9126193
पुरुष	14988593	9348353	5640240	7044638	7943995

जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगों की कुल जनसंख्या का 55.9% पुरुष हैं तथा 44.1% महिलाएं हैं।कुल विकलांग व्यक्तियों में, 54.51% व्यक्ति साक्षर हैं 45.49% निरक्षर हैं। जिसमें कुल दिव्यांग पुरुषों में से 62.4 प्रतिशत साक्षर हैं। जबकि वही कुल दिव्यांग महिला जनसंख्या में से केवल 44.6% दिव्यांग महिलाएं ही साक्षर हैं।

2011 की जनगणना ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुल विकलांग व्यक्तियों का लगभग एक तिहाई काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कुल विकलांग व्यक्तियों में से 36.3 प्रतिशत कामगार हैं। पुरुषों के बीच विकलांग व्यक्ति, 47% काम कर रहे हैं और महिला विकलांगों में केवल 22.82% कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल साक्षर स्त्रियों की जनसंख्या में से लगभग आधी साक्षर स्त्रियां ही किसी न किसी कार्य में कार्यरत हैं यह संख्या अत्यंत कम है, तथा जो भी दिव्यांग महिलाएं कार्यरत है वे अधिकांशतः कुछ सीमित क्षेत्रों में ही कार्य कर रहीं हैं।

अनुरूपी लेखक

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग एवं दिव्यांग एवं पुनर्वास अध्ययन समिति के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग महिलाओं के रोजगार की स्थिति का पता लगाने हेतु किए गए एक अध्ययन के माध्यम से समझा जा सकता है, जो निम्नवत है :

पांच राज्यों(उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान महाराष्ट्र तमिलनाडु) से चयनितदिव्यांग महिलाओं की कुल संख्या	लिपिक	शिक्षण	टेलरिंग	स्व रोजगार	चपरासी	बिजनेस	नर्सिंग	अन्य
500	155	69	38	36	32	30	15	125

जिससे से स्पष्ट होता है कि अध्ययन हेतु चयनित कुल 500 दिव्यांग महिलाओं में से 75% महिलाएं लिपिक, शिक्षण, टेलरिंग, स्वरोजगार, चपरासी, बिजनेस तथा नरसिंग जैसे कुल सात क्षेत्रों में ही कार्यरत है तथा मात्र 25% महिलाएं ही अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आज भी दिव्यांग महिलाओं के बीच जागरूकता की कमी है जिसके कारण वे अभी भी निश्चित पेशों तक ही सिमट कर रह गयीं हैं, जबकि तीव्र तकनीकी प्रगति के कारण पिछले दस वर्षों में दिव्यांगों के लिए रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आधुनिक समय में जहां दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु स्क्रीन रीडर जैसे नए सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है। वही अस्थिवाधित दिव्यांगों हेतु अनुकूलित कृत्रिम अंग एवं अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण हो रहा है ताकि वह अपने जीवन से जुड़े व्यक्तिगत सामाजिक एवं अर्थोपार्जन से संबंधित कार्यों को सुलभता से कर सकें। सरकारों द्वारा भी दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं अब सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े संस्थाओं में प्रवेश पाना पहले की अपेक्षा आसान हो गया है। तथा आज सभी सार्वजनिक स्थान को दिव्यांग जनों हेतु सुगम बनाने का कार्य किया जा रहा है। अतः दिव्यांग महिलाओं के लिए अर्थोपार्जन के क्षेत्र का दायरा पहले की अपेक्षा बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट का चलन बढ़ने से महिलाओं के लिए रोजगार के नए–नए अवसरों के द्वार खुल गए हैं। कोरोना महामारी के दौरान विकसित हुआ वर्क फ्रॉम होम का तरीका दिव्यांग महिलाओं हेतु वरदान सिद्ध हो सकता है तथा तकनीकी क्रांति के परिणामस्वरूप आज दिव्यांग महिलाएं अनुवाद, स्वर व उच्चारण प्रशिक्षण, चिकित्सा, कानून, पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता व तकनीकी लेखन जैसे बहुत से नए पेशों को बखूबी अपना सकते हैं। यहां हम कुछ ऐसे ही नए पेशों का विवरण दे रहे हैं, जिन्हें दिव्यांग महिलाएं भी अपना सकती हैं :

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत दिव्यांग महिलाओं के अनुभव– चिकित्सादृ रोशन शेख जोकि जोगेश्वरी मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली है जिनके दोनों पैर एक ट्रेन हादसे में कट गए थे तथा वे 89 प्रतिशत दिव्यांग हो गई थी उनका सपना डॉक्टर बनना था परंतु अत्यधिक दिव्यांगता के कारण उन्हें एमबीबीएस में प्रवेश नहीं मिल सका तत्पश्चात मुंबई हाई कोर्ट से केस जीतकर उन्होंने सन् 2011 में एमबीबीएस में एडमिशन लिया तथा 2016 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और बाद में कठिन परिश्रम के पश्चात एमडी की डिग्री भी प्राप्त की और आज वह अत्याधिक दिव्यांगता होने के बावजूद भी मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में एक सफल डॉक्टर हैं। ऐसे ही चिकित्सा की एक शाखा फिजियोथैरेपी मैं भी कई दृष्टिबाधित पुरुष एवं महिलाएं चिकित्सक का कार्य कुशलता पूर्वक कर रहे हैं इससे प्रतीत होता है कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में दिव्यांग महिलाएं अपना कैरियर बना सकती हैं।

हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख।।

कानून– प्रियंका 54% दिव्यांग महिला है, जो हाल ही में जज बनी है। प्रियंका हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से कानून में स्नातक परास्नातक एवं पीएचडी स्तर की पढ़ाई की है और हाल ही में उनका चयन न्यायिक सेवा में हुआ है। यह मुकाम प्राप्त कर उन्होंने दिव्यांग महिलाओं हेतु रोजगार के 1 नए क्षेत्र का द्वार खोला है उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब दिव्यांग महिलाएं भी कानून के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं।

खेल– आधुनिक समय में दिव्यांगों के लिए खेल का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया है। आज राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

स्तर पर ऐसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्ति भी खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकें, जैसे भारत में पैरालंपिक समिति तथा अन्य गैर सरकारी संगठन भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं तथा इस क्षेत्र में सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। फल स्वरूप अनेक दिव्यांग पुरुष एवं महिलाओं ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है जिनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं।

१. प्रज्ञा घिल्डियाल— महिला एथलीट प्रज्ञा १०० प्रतिशत अस्थि दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। उन्होंने २०१४ में एफ ए जेड जेड ए अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स आईपीसी गां प्री तथा २०१६ में दुबई शारजाह इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सात पदक जीते। प्रज्ञा रियो पैरालिंपिक में डिस्कसथ्रे के फाइनल के ट्रायल के लिए भी चयनित हुई थी।

२. मालथी कृष्णामूर्ति होला— बेंगलुरु की इस अंतरराष्ट्रीय पैरा—एथलिट को एक साल की उम्र में लकवा मार गया था। नियमित उपचार के बाद उनके ऊपरी शरीर की शक्ति वापस आ गई, लेकिन निचला भाग अभी भी कमजोर है। होला ने खेलों में भाग लेना शुरू किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। डेनमार्क में हुए वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स में उन्होंने २०० मीटर दौड़, शॉटपुट, डिस्कस और जैवलिन थ्रे में स्वर्ण पदक जीतें। आज उनके पास करीब ३०० मेडल्स हैं। होला को अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।

३. जानकी गौंड— जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील की ग्राम कुर्रे पिपरिया निवासी जानकी ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग और मूक—बधिर जूडो एशियन चैंपियनशिप २०१७ में आयोजित भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किया, जिसमें थाईलैंड, कोरिया और उज्बेकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है।

इंजीनियरिंग— आज विकसित तकनीक के कारण इंजीनियरिंग भी ऐसा क्षेत्र है, जहां दिव्यांग महिलाएं अपना कैरियर बना सकती हैं, उदाहरण के रूप में एक दृष्टिबाधित महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदिति शाह जिन्होंने मुंबई से हैकिंग में डिग्री प्राप्त की तथा अमेरिका के जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की तथा वे माइक्रोसॉफ्ट में बतौर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। इससे प्रतीत होता है कि आज के समय में दिव्यांगता किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए बाधक नहीं बन सकती।

स्वर व उच्चारण प्रशिक्षण— स्वर व उच्चारण प्रशिक्षण का क्षेत्र भी दिव्यांगों के लिए एक नया एवं सहज कार्य है, जिसमें वे आसानी से अपना योगदान दे सकते हैं तथा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एक पूर्व दृष्टिबाधित छात्रा मधुबाला जोकि एक मल्टीनैशनल कंपनी में स्वर एवं उच्चारण प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं उनका कहना है कि इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु व्यक्ति के पास संबंधित भाषा में दक्षता तथा संचार कौशल का होना अनिवार्य है तथा लोगों से मेल मिलाप एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति आदि ऐसे गुण हैं, जो एक स्वर एवं उच्चारण प्रशिक्षक के लिए आवश्यक है। अतः यह कार्य दिव्यांगता की स्थिति होने अथवा ना होने से किसी प्रकार की संबद्धता नहीं रखता है।

पत्रकारिता— पत्रकारिता भी आज के समय में एक महत्वपूर्ण पेशे के रूप में प्रतिष्ठित है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के कार्य आते हैं, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति आसानी से कार्य कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं डिस्क जॉकी, कंबो ऑपरेटर, उद्घोषक, समाचार रिपोर्टरध् एंकर, टॉक रेडियो होस्ट, वॉइस ओवर कलाकार, प्रोडक्शन इंजीनियर आदि ऐसे कार्य हैं, जिन्हें दिव्यांग व्यक्ति भली प्रकार कर सकता है। इस व्यवसाय में संलग्न एक दृष्टिबाधित व्यक्ति जिनका नाम जैन पार्कर है इन्होंने अपना सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्स इंस्टीट्यूट फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशन कोस्टा अमेरिका से 1997 में पूरा किया इससे पहले उन्होंने 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए से शिक्षा शास्त्र में एम. ए. भी किया है। अमेरिका के एक रेडियो प्रोग्राम रेडियो फॉर पीस इंटरनेशनल में बोर्ड मेंबर के रूप में कार्य करते हैं, तथा अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं तथा उनका कहना है, कि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है तथा ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित है, तो सीखना आवश्यक है तथा भाषा पर दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है एवं जिन क्षेत्रों में रुचि न हो उनकी भी मूलभूत जानकारी रखना क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है तथा उनका कहना है कि आप दिव्यांग हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस क्षेत्र में भी आप आसानी से कार्य कर सकते हैं।

निजी व्यवसाय— आधुनिक समय में कम आय वर्ग वाले व्यक्तियों एवं दिव्यांग जनों को भी अपना निजी व्यवसाय करने हेतु तमाम सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जैसे मुद्रा लोन आदि तथा दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से प्रतिवर्ष लोन प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाता है, जिससे वे अपना स्वयं का कोई स्वरोजगार अथवा व्यवसाय स्थापित कर सकें। अतः कहा जा सकता है कि आज के समय में दिव्यांगजन के लिए भी व्यवसाय करना आसान हो गया है।

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

आधुनिक युग में दिव्यांगों की शिक्षा को सुलभ बनाने के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं एवं उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रकार की तकनीकें विकसित हो रही हैं जिनके माध्यम से वे हर प्रकार की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पहले की तुलना में आज आसानी से प्राप्त कर सकते है। उक्त क्षेत्रों से जुड़े पेशेवरों के अनुभवों से स्पष्ट है कि आधुनिक विकसित तकनीक के माध्यम से दिव्यांगजन उक्त क्षेत्रों से जुड़े अन्य कार्यों में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए, तो कैरिओ प्रैक्टिक चिकित्सा, योग चिकित्सा तथा वैकल्पिक चिकित्सा आदि में आसानी से योगदान दे सकते हैं तथा इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कार्य दृष्टि दिव्यांग विभिन्न स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। वही अस्थि दिव्यांग व्यक्ति भी इसमें कोई विशेष शारीरिक गतिविधि न होने के कारण सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आसानी से कार्य कर सकते हैं तथा कंप्यूटर से जुड़े अन्य सभी प्रकार के व्यवसायों को दिव्यांग महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। वही अन्य रोजगार से जुड़े क्षेत्रों की बात करें, तो विनिर्माण उद्योग में भी दिव्यांग महिलाएं आसानी से कार्य कर सकती हैं, क्योंकि आज विनिर्माण क्षेत्र में भी नवीन तकनीकी से युक्त मशीनों का निर्माण हो रहा है, जो स्वतः चालित होती हैं एवं निर्मित प्रोडक्ट को आज डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आसानी से दूरगामी क्षेत्रों में प्रेषित किया जा सकता है।

निष्कर्ष– जैसा कि हमने देखा है कि शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में दिव्यांग महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं रही है, परंतु सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा जब उनके लिए कुछ प्रयास शुरू किए गए, तो उनकी स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ तथा दिव्यांग महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करने लगी तथा कुछ महिलाएं रोजगारपरक कार्यों से भी जुड़ सकीं तथा वर्तमान में कुछ दिव्यांग महिलाओं ने अपने कठिन परिश्रम एवं लगन से संबंधित क्षेत्रों के उच्च पदों पर पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें शैक्षिक रूप से सशक्त बनाया जाए, तो वह भी राष्ट्र निर्माण में अहम् योगदान दे सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Persons with Disabilities (Divyangjan) in India - A Statistical Profile : 2021,Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation National Statistical Office Social Statis tics Division.
2. ·http://ncwapps.nic.in/pdfReports/EMPLOYMENT_RIGHTS_OF_DISABLED_WOMEN.pdf was first indexed by Google in December 2018.
3. https://youtu.be/ehFNp7IjEN4.
4. https://www.abplive.com/education/himachal-pradeshs-disabled-priyanka-becomes-judge-1253030.
5. https://www.shaalaa.com/question-bank-solutions/divyaang-mahila-khilaadiyon-ke-baare-mein-jaanakaaree-praapt-karake-tippanee-taiyaar-keejie-rchnaa-vibhaaga-9th-standard_177951.
6. दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए लेख माला, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी सेक्टर 5 नई दिल्ली 11085, पृष्ठ संख्या 49–64.

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14